कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
"वन धन भवन"
सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
E-mail: mfprecruitments@gmail.com; ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfpfed.org

भारतीय जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त AO, AAO अधिकारियों की संविदा भर्ती, नियम शर्ते व चयन प्रक्रिया

1. नियुक्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल रजिस्टर्ड ए.डी. से / स्पीड पोस्ट से दिनांक 28/12/2020 सायं 5 बजे तक ही स्वीकार किये जायेगें ।

2. **आयु सीमा-**

   (अ) **बीमा सहायक अधिकारी हेतु**- उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.01.2020 को 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3. **निवासी**- आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

4. **आवेदक हेतु अन्य निर्देश-**
   1. विज्ञापित पदो की संख्या में आवश्यकतानुसार संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
   2. बीमा सहायक अधिकारी के पद हेतु उम्मीद्वार की संपूर्ण सेवा अवधि में उत्कृष्ट सेवा रिकार्ड होना चाहिए ।
   3. गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकुल टीप- गंभीर कदाचरण, विभागीय जांच लंबित रहने, भ्रष्टाचार या अनियमितृता के आरोपित अधिकारीयों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कोई विचार नही किया जायेगा।
   4. बीमा सहायक अधिकारी पद हेतु आवेदन में उल्लेखित समस्त दस्तावेज, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र, पेंशन प्रमाण-पत्र के सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य होगा।
   5. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तो के पूरा करने पर आवेदन पत्र भरे। चयन प्रक्रिया के भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर जावेगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नही दी जावेगी।
   6. कोई भी पुरूष उम्मीद्वार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
   7. आवेदक जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध या दोष सिद्ध ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
   8. रिक्त पद, निर्धारित अर्हता, चयन प्रकिया तथा अन्य संबंधित जानकारी संघ को वेबसाइट www.cgmfpfed.org पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना पत्र प्रेषित नही किया जावेगा। अतः आवेदक www.cgmfpfed.org का निरंतर अवलोकन करते रहें।

9. विज्ञापन में तथ्यात्मक/ लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना वेबसाईट www.cgmfpfed.org में प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रकिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध मे कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नही होगा।
10. चयन के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
11. संविदा नियुक्ति संघ के संविदा नियुक्ति नियम 2017 के तहत 01 वर्ष के लिए होगी।
12. चयनित उम्मीद्वारों की सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी जो कि आदेश दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध रहेगी ।
13. उक्त प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से 01 वर्ष तक संघ में समान पदों की रिक्तियां उद्भूत होने पर उनकी पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी ।
14. कार्य संतोषजनक होने पर आवश्यकतानुसार संविदा अवधि बढ़ाई जा सकती है ।
15. कार्य की आवश्यकता को देखते हुये प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ समय-समय पर पदस्थापना स्थल में परिवर्तन कर सकते है।
16. चयनित उम्मीद्वार को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत विभिन्न जिला यूनियन के प्राथमिक वनोपज सहकारी समतियों में पंजीकृत तेंदूपत्ता संग्राहकों (मुखिया परिवार एवं सदस्यों) के मृत्यु उपरांत उनके/नामांकित वारिस द्वारा प्रस्तुत मृत्यु दावों के परीक्षण व उनके सहायता अनुदान राशि प्रदाय हेतु समस्त कार्यवाही कर स्वीकृति हेतु अनुसंशा के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा ।
17. सेवा के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक माह का वेतन अथवा एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। सेवा के दौरान अनुशासनहीनता/ अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर तत्काल प्रभाव से संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
18. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर किसी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो तो वह चयन के लिये पात्र नही होंगे।
19. किसी भी आवेदक द्वारा यदि गलत जानकारी प्रस्तुत की गयी है। तो चयन प्रक्रिया के समय अथवा चयन के पश्चात किसी भी समय उसकी सेवा निरस्त की जा सकती है।
20. अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार में बुलाने का यह तात्पर्य नही होगा कि उनका चयन हो गया है।
21. चयन हेतु आवेदक की पात्रता/अपात्रता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर को होगा।

5.चयन प्रकिया -

1. सामान्य निर्देश - विज्ञापित पदों की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

बीमा सहायक अधिकारी हेतु-

(i)प्राप्त आवेदनों के परीक्षण, सेवा रिकार्ड, गोपनीय प्रतिवेदन, अनुभव के आधार पर सूची तैयार किया जायेगा । सूची के आधार पर साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीद्वारों को पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा ।साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर चयन सूची तैयार किया जायेगा । नियुक्ति के संबध में विस्तृत निर्देश संघ के वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है । इस हेतु किसी भी आवेदक को पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।

6. वेतन एवं भत्ता:-

बीमा सहायक अधिकारी हेतु-

बीमा सहायक अधिकारी के पद पर नियुक्त उम्मीद्वारो को उन्हे सेवानिवृत्ति तिथी को देय अंतिम वेतन में से स्वीकृत पेंशन को घटाकर जो राशि देय हो दिया जाएगा तथा अन्य कोई सेवा लाभ एवं भत्ता नही दिया जाएगा ।तथापि आवश्यकता होने पर विभिन्न जिला यूनियनों में भ्रमण के दौरान पूर्व स्वीकृति से आवागमन हेतु शासकीय/संघ वाहन की पात्रता होगी ।

7. मूल दस्तावेजों का सत्यापन -

आवेदक को संघ मुख्यालय में मूल दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन के समय प्रस्तुत जानकारी एवं मूल दस्तावेजों में अंकित जानकारी समान होने पर ही आवेदक की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा । आवेदक को मूल दस्तावेजों के साथ 2 सेट में सत्यापित फोटो प्रतियां तथा 01 पासपोर्ट साईज का फोटो भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ।

1. सर्विस बुक की छायाप्रति
2. सेवानिवृत्ति तिथी के समय स्वीकृत वेतन (वेतन पर्ची संलग्न करें)
3. स्वीकृत पेंशन (स्वीकृत पेंशन आदेश की छायाप्रति संलग्न करें)
4. सेवानिवृत्ति तिथी के पूर्व विगत 3 वर्ष के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की सत्यापित छायाप्रति

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ रायपुर